बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (गोपालगंज) 02–60/2024– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर के विरूद्ध समाहर्त्ता, गोपालगंज के पत्रांक–792/स्था0, दिनांक–04.11.2025 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें दाखिल–खारिज वाद सं0–2948/आर–27/2022–23 एवं दाखिल–खारिज वाद सं0–3894/आर–27/2021–22 को गलत ढंग से अस्वीकृत करने संबंधी आरोपों के लिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित किया गया है।

2. गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–237(15), दिनांक–24.02.2026 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–18.03.2026 से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

3. गठित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध दाखिल–खारिज वाद सं०–2948/आर–27/2022–23 को अस्वीकृत किए जाने में वाद निष्पादन के समय ऑनलाइन जमाबन्दी में संबंधित खेसरा का रकबा अंकित नहीं था तथा आवेदक से आवश्यक राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सूचना दी गई थी, किन्तु आवेदक द्वारा अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में दिनांक 22.03.2023 को रकबा प्रविष्ट किया जाना प्रदर्शित करता है कि वाद निष्पादन के समय उक्त प्रविष्टि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उक्त वाद का निष्पादन दिनांक–22.03.2022 को किया गया था, जबकि रकवा का परिमार्जन दिनांक–22.03.2023 को किया गया था। अतः उपलब्ध अभिलेखीय स्थिति के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाना प्रत्यक्षतः दुर्भावनापूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

4. इसी प्रकार दाखिल–खारिज वाद सं०–3894/आर–27/2021–22 को अस्वीकृत किए जाने के संदर्भ में हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी राजस्व अधिकारी द्वारा जमाबन्दीदार एवं विक्रेता के संबंध स्पष्ट नहीं होने, दस्तावेजों में विसंगति रहने तथा दखल–कब्जा सिद्ध नहीं होने का प्रतिवेदन दिये जाने, साथ ही संलग्न दस्तावेज में अंकित जमाबन्दी संख्या–1671 का अभिलेखीय अस्तित्व स्पष्ट नहीं पाये जाने तथा विक्रेता के नाम एवं जाति संबंधी विवरण में भी भिन्नता पाई जाने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा आवेदक से कागजात की मांग की गई किन्तु साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये जाने पर वाद अस्वीकृत किये जाने का तर्क दिया गया है परंतु उक्त वाद के निष्पादन संबंधी अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा आवेदक को दिनांक–17.08.2022 तक साक्ष्य संबंधी कागजात प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, जबकि दिनांक–22.03.2022 को ही आवेदक का पक्ष सुने बिना ही वाद को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी की संदिग्ध मंशा परिलक्षित होती है। वादों के निष्पादन में अपेक्षित सावधानी, अभिलेखीय सत्यापन एवं कारणों की स्पष्ट अभिलिखित विवेचना में आरोपी पदाधिकारी की शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही द्योतित होती है।

5. अतः श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण/आरोप की प्रकृति एवं विभागीय समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2023)** संसूचित करने का निर्णय लिया गया है।

कु0पु0उ0

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोपालगंज सदर सम्प्रति अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भू–अर्जन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(i) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2023)** का दण्ड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–**15/आरोप (गोपालगंज) 02–60/2024**– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गोपालगंज (पत्रांक–792/स्था0, दिनांक–04.11.2025 के प्रसंग में)/ समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं पश्चिम चम्पारण/श्री राकेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भू–अर्जन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–**15/आरोप (गोपालगंज) 02–60/2024**– 880 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 18.06.26

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमार के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

18/6

विशेष सचिव।